न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छींम्पा, R.A.S.

वादपत्र संख्या 128/2017
अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

रणवीरसिंह उर्फ कृष्णराम आत्मज श्री गुगनराम, जाट, तातारसर, हाल रामदेव कालोनी, चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगगानगर

...वादी

बनाम

1. देवीलाल आत्मज श्री लेखराम, जाट, तातारसर,
2. बलवन्त आत्मज श्री गुगनराम, जाट, तातारसर

..प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री ओमप्रकाश बत्तरा (वादी)
श्री विक्रम बिश्नोई (प्रतिवादी–1)

दिनांक 24 जुलाई, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 31 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/49 मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 4,5,6,7 एवं किला नम्र 8/2 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 1 से 5 वादी की खातेदारी कृषि भूमि है. वादी का मुरब्बा नम्बर 43 की भूमि उंचा एवं टाईट कमाण्ड होने से वादी की कृषि भूमि के लिये मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1 से 5 के खाला से सिंचाई सही न होने से वादी द्वारा इस खाला को निरस्त कर मुरब्बा नम्बर 42 के लि नम्बर 21 से 25 में खाला स्वीकृत करवाने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन, उत्तरखण्ड, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदनपत्र दिनाक 25 अप्रेल, 2017 मय निर्धारित शुल्क रसीद संख्या 0065 बुक संख्या 049487 की रसीद प्रस्तुत किया गया है. इस प्रकार मुरब्बा नम्बर 42 के लि नम्बर 1 से 5 के खाला को निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है तथा खाला परिवर्तित किया जाने वाला है. प्रतिवादी संख्या 1 की कृषि भूमि चक 31 जी.जी. के मुरब्बा नम्बर 43 में स्थित है तथा अधिशाषी अभियन्ता, सी.ए.डी. श्री करणपुर एवं सहायक अभियन्ता, उत्तर खण्ड, पदमपुर द्वारा चक 31 जी.जी. में पक्के खालों का निर्माण करवाया जा रहा है तथा प्रतिवादीगण गलत तौर पर मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1 से 5 के खाला जिसे वादी द्वारा निरस्त करने की कार्यवाही की हुई है, को पक्का बनवाने का प्रयास किया जा रहा है जबकि कानूनन जब तक वादी के आवेदनपत्र दिनांक 25 अप्रेल, 2017 का अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता कानूनन मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1 से 5 के खाला को पक्का नहीं बनवाया जा सकता, यदि पक्का बनवा दिया जाता है तो वादी के आवेदनपत्र का उद्देश्य समाप्त

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

हो जायेगा तथा वादी की मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 से 5 की सिंचाई से वादी वंचित हो जायेगा तथा वाद बाहुल्यता बढेगी, इन हालातो में वादी के लिये स्थायी निषेधाज्ञा का वाद लाना एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवायी जानी आवश्यक है क्योंकि प्रतिवादीगण मनमानी करके, सिंचाई अधिकारियो के माध्यम से गलत खाला को पक्का करवाने में प्रयासरत हैं तथा गलत खाला को पक्का बनाकर हमेशा के लिये वादी को मुरब्बा नम्बर 43 की कृषि भूमि की सिंचाई से वंचित करना चाहते हैं. मुरब्बा नम्बर 42 का किला नम्बर 4, 5 की कृषि भूमि वादी की है तथा वादी अपने इस रकबा में पक्का खाला बनवाने के लिये किसी भी प्रकार से सहमत नहीं है बल्कि उसक द्वारा खाला निरस्त करने के लिये कार्यवाही की गयी है, ऐसी स्थिति में, यदि वादी के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 4 व 5 में खाला पक्का बनाया जाता है तो वादी अपने इस रकबा की सिंचाई से सदैव के लिये वंचित हो जायेगा जिसे भारी क्षति होगी अतः वादी स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने का अधिकारी है. वादी द्वारा प्रतिवादीगण से बार बार आग्रह किया गया कि वह चक 31 जी.जी. के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1 से 5 के खाला को जिसमें वादी की मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 4 व 5 का खाला भी शामिल है, को पक्का बनवाने से निषिद्व रहें किन्तु प्रतिवादीगण अन्य काश्तकारों के अनुचित दबाव में होने के कारण टालमटोल करते हुऐ दिनांक 30 नवम्बर, 2017 को साफ इन्कारी हो गया तथा सिंचाई अधिकारियों के माध्यम से मिलीभगती कर वादी को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से वादी से गलत रंजिश होने के कारण मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1 से 5 के खाला को शीघ्र पक्का बनवाने में प्रयासरत है. यही वाद हेतुक उपलब्ध है. प्रतिवादीगण द्वारा एलानिया कहा गया है कि वह 2 –3 दिवस में मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 1 से 5 में पक्के खाला का निर्माण करवा देंगे. अतः तुरन्त वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया. इस प्रकार वादी द्वारा सिंचाई अधिकारियों के माध्यम से चक 31 जी.जी. के मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 1 से 5 के खाला को, जब तक वादी के इस खाला को निरस्त करने तथा अन्य खाला स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत आवेदनपत्र का अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता, बिना वादी की सहमति के इस खाला को पक बनवाने, चलवाने एवं बारी बंधवाने की बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 31 जी.जी. के खाता संख्या 54/49 की जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 की प्रमाणित प्रति सलंग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थत.

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 2 अप्रेल, 2018 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार चक 31 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 42 व 43 में अपनी कृषि भूमि होना बताया गया तथा मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1 से 5 में सिंचाई खाल बना हुआ होना एवं किला नम्बर 1 से 5 के स्थान पर मुरब्बा नम्बर 42

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक,
श्रीगंगानगर

128/17

A2
6

प्रावधानों से सम्बन्धित न होकर सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है. जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा वर्जित है. ऐसी स्थिति में, विचाराधीन आवेदनपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है.

।। आदेश ।।

अतः आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है तथा वादपत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे.

आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2018 को खुले न्यायालय में अधिवक्तागण की उपस्थिति में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(श्रीमती रीना छीपा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर